

Sr.No	Name of Patwar Circle	Name of Muhal	Name of Gram Panchayat	Name of ward	Khasra No.	Total Khasra No.	Total Area ( in Hec.)
1	Manjhadesh	Manjhadesh	Bakhtnao	Anni	2499 to 2599, 2609 to 2850,8284,8285	344	87.5
2	Franali	Franali	Anni	Anni	830 to 911	81	20
3	Karana	Karana	Karana	Batala (Khubda)	2184 to 2195, 2456 to 2460	17	3.5
4	Kungash	Kungash	Kungash	Teshan	1171 to 1187, 2747, 2801,2814,2876,2877.	21	5.5
5	Jaban	Jaban	Namhong	Naldehra	1587 to 1627	40	9
<b>Total</b>						<b>503</b>	<b>125.5</b>

- 2 -

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 4 and sub-section (1) of section 80 of the Act *ibid.*, is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of general tax for a period of three years from the commencement of this notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,  
Rajneesh  
Secretary (Urban Dev.) to the  
Government of Himachal Pradesh.


Endst. No. : As above.

Dated Shimla-2, the

27.10.2020

Copy is forwarded to the following for information & necessary action :-

1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
2. The Addl.-LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
- ✓ 4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
7. The Deputy Commissioner, Kullu, H.P.

  
(Surjeet Singh Rathore) 27/10/20  
Joint Secretary (Urban Dev.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

- 3 -

27.10.2020

## अधिसूचना

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई "अनुसूची" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू का गठन करते हैं और यह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।

“अनुसूची”

क्रम संख्या	पटवार वृत्त का नाम	महाल का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का नाम	खसरा नम्बर	कुल खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	मांझादेश	मांझादेश	बखनाओं	आनी	2499 से 2599, 2609 से 2850, 8284, 8285	344	87.5
2	फरानाली	फरानाली	आनी	आनी	830 से 911	81	20
3	कराणा	कराणा	कराणा	बटाला (खोबडा)	2184 से 2195, 2456 से 2460	17	3.5
4	कुंगश	कुंगश	कुंगश	तेशन	1171 से 1187, 2747, 2801, 2814, 2876, 2877	21	5.5
5	जावन	जावन	नमहोंग	नालदेहरा	1587 से 1627	40	9
<b>कुल</b>						<b>503</b>	<b>125.5</b>



- 4 -

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (7) और धारा 80 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के लिए सामान्य कर के संदाय से भी छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार-अभिलेख के वाजीब-उल-अरज में यथा उपबन्धित रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,


रजनीश  
सचिव (शहरी विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि तारीख शिमला-02,

27.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवम अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, राज्य निवार्चन आयोग, हिमाचल प्रदेश।
4. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, जनगणना कार्य शिमला, हिमाचल प्रदेश।
7. उपायुक्त जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

  
(सुरजीत सिंह राठौर) 27.10.20  
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।